A 6/1

राजस्व लोक अदालत 2015

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : श्री उदयभानु चारण,आर.ए.एस.

कैम्प–अराबा दिनांक 17–7–2015

मुकदमा नंबर राजस्व वाद 171/2013

वादीगण

1. चैनसिंह, 2. गुमानसिंह, 3. सुगनसिंह, 4. रामसिंह, पुत्र स्व0 सोहनसिंह
5. बालुसिंह, 6. भीखसिंह, 7. पुरखसिंह, 8. अनोपसिंह
9. नरसिंह पुत्र स्व0 हीरसिंह 10 रूपाकंवर पत्नी स्व0 हीरसिंह सभी जाति पुरोहित निवासी बांकियावास कला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहनसिंह, 2राणसिंह, 3. शिवनाथ, 4. गिरधारीसिंह
5. दीपसिंह पुत्र स्व0 जेठमल
6. बहादुरसिंह, 7. रघुनाथसिंह, पुत्र स्व0 पन्नेसिंह
8. मांगीलाल पुत्र स्व0 जोरसिंह
9. गवरी पत्नी स्व0 नैनसिंह
10 अशोकसिंह पुत्र स्व0 नैन सिह
11.घेवरसिंह,12.जगदीशसिंह,13तगसिंहपुत्रस्व0 नरसिंह
14 खम्मा कंवर पत्नी स्व0 नरसिंह
15 जितेन्द्रसिंह 16. श्रवणसिंह पुत्र स्व0 भेरूसिंह
17 संतोषकंवर पत्नी स्व0 भेरूसिंह
18 नारायणसिंह, 19 बाबूसिंह 20 भगवानसिंह
21जालमसिंह पुत्र स्व0 मुकन्दसिंह 22. मथुराकंवर पत्नी स्व0 मुकुन्दसिंह
23. गुमानसिंह, 24. मोहनसिंह पुत्र स्व0 किशनसिंह सभी जाति पुरोहित निवासी ग्राम बांकियावासकला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
24 तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत 2015 बालोतरा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपटित धारा 151 सीपीसी

आदेश

पत्रावली आज पेश हुई । पक्षकारान उपस्थित । प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्री में पेश किये गये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एव्र विप्रार्थीगण का वंशावली सजरा प्रार्थना पत्र के पद सं0 3 में वर्णित अनुसार है। प्रार्थीगण के पिता स्व0 सोहनसिंह व हीरसिंह पिसरान प्रतापसिंह का 1/3 हिस्सा तथा जेठमल, पन्नेसिंह, व मुकुन्दसिंह पिसरान हड़वन्तसिंह का 1/3 हिस्सा एवं किशनसिंह वल्द बलदेवसिंह 1/3 हिस्सा के नाम वक्त सेटलमेंट खसरा सं0 232 में 138.05 बीघा जमीन कृषि भूमि दर्ज थी। जो खसरा बंदोबस्त , पर्चा खतौनी तथा पर्चा लगान में बकायदा दर्ज है। सोहनसिंह, व हीरसिंह का देहांत हो जाने से व राजस्व रेकर्ड का यथा समय अवलोकन नही करने के कारण नाजायज फायदा उठाते हुये अप्रार्थीगण जेठमल, पन्नेसिंह मुकुन्दसिंह व किशनसिंह ने उपरोक्त खसरों में दर्ज कृषि भूमि का आधा आधा हिस्सा अपने पक्ष में दर्ज करवाया लिया और प्रार्थीगण के पिता स्व0 सोहनसिंह व हीरसिंह का 1/3 हिस्सा आपस में बांटते राजस्व रेकर्ड में उनका नाम हटवा दिया। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा बेदखली का प्रयास करने तथा लिखत की अनुपालना के इन्कार करने से प्रार्थीगण के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपने कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा सं0 232 में प्रवेश नही करने दे रहे है व कृषि कार्य करने से रोक रहे है। प्रार्थीगण ने दावा बाबत अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है एवं दौराने दावा विप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में पक्षकारान को सुना गया व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन व अध्ययन किया गया ।

उक्त प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण स्पष्ट रूप से पाया जाता है सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है प्रार्थीगण के द्वारा विप्रार्थीगण के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया गया है। तथा दौराने दावा विप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति या हानि होना प्रतीत नही होता है न जारी करने से प्रार्थी को क्षति एवं हानि होना प्रतीत होता है यदि दावा विवादित भूमि को विप्रार्थीगण किसी को बेचान कर देते है, तो प्रकरणं में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनो बिन्दु सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया हक एवं मामला का

17/7/15

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर बालोतरा
कैम्प अराबा 2015

Scanned by CamScanner

सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष मे होना जाहिर होता है प्रार्थीगण की दरख्वास्त उपरोक्त विवेचन पर स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतीत होती है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अ0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विप्रार्थी के खिलाफ दावे के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विप्रार्थीगण, दावे के निस्तारण तक विवादित भूमि में वाद के निर्णय निस्तारण तक भूमि के रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति कायम रखें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर मूल वाद के साथ संलग्न हो ।
आदेश आज दिनांक 17.7.2015 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/15

(उदय भानु चारण)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर बालोतरा